मत्स्योघोग सहकारी संस्था मर्यादित

आदर्श उपविधि

प्रकाशक : **जिला सहकारी संघ मर्यादित**

चौबे कालोनी, रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771–2255998

मूल्य – 50 रुपये

(वर्ष – 2013)

मत्स्योद्योग सहकारी संस्था की उपविधियां

१. नाम पता तथा कार्यक्षेत्र -

इस संस्था का नाम मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित रहेगा इसका रजिस्ट्री किया हुआ पता ....डाकघर...............................तहसील.......................जिला.. छत्तीसगढ़ होगा। इसका कार्यक्षेत्र .... रहेगा।

२. उद्देश्य-

इस संस्था के मूल उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

1. मछली पकड़ने का ठेके लेना और ठेके के क्षेत्र में मछलियां पकड़वाने की व्यवस्था करना अथवा मछली पकड़ने का अधिकार संस्था के सदस्यों को देना।
2. सदस्यों को मछली पकड़ने के लिए लगने वाली वस्तुयें जाल डोंगा इत्यादि मोल लेने के लिए लायसेंस का शुल्क देने के लिए तथा अन्य आवश्यक कामों के लिए ऋण देना।
3. संस्था में मछली पकड़ने के साधन मोल लेकर रखना और वे सदस्यों को बेचना अथवा किराये से देना।
4. मछलियों को नर्सरी में रखकर उनकी नस्ल की सुधार करना और इस प्रकार उनके उत्पादक में वृद्धि करना।
5. सदस्यों, उनके बच्चों को और स्त्रियों द्वारा पकड़ी हुई मछलियों को योग्य भाव से बेचने की व्यवस्था करना।
6. मछलियां अधिक दिन तक सुरक्षित रखने के लिए शीतागार में रखने की व्यवस्था करना।
7. सदस्यों को आर्थिक सामाजिक तथा स्वास्थय संबंधी उन्नति के लिए योजना बनाना और उनकी व्यवहार में लाना।
8. सदस्यों से सहकार्य, स्वावलंबन और मितव्ययिता की भावना निर्माण करना और उसे कार्य रूप में लाना।
9. अन्य वे सब काम करना जो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करना आवश्यक हो।

3. पूंजी निम्नलिखित साधनों से जमा की जावेगी।

(१) प्रवेश शुल्क के द्वारा
(२) अंश निकालकर
(३) अमानतें जमा करके
(४) ऋण लेकर
(५) अनुदान आदि लेकर और
(६) लाभ में से रक्षित निधि आदि बनाकर

ऋण तथा अमानत की रकम सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार साहब की स्वीकृति के बिना अंश की वसूल आयी हुई रकम तथा रक्षित निधि के 8 गुणा से अधिक नहीं होगी।

पूंजी उन कार्यों में लगायी जावेगी जो कि उपविधि क्रमांक 2 में संस्था के उद्देश्य के अन्तर्गत दिए गए हों। शेष पूंजी जब तक कि उसकों उन कामों के लिए आवश्यकता न हों, सहकारी संस्था विधान की धारा 45 के अनुसार लगायी जावेगी।

4. सदस्यता

इस संस्था के सदस्य निम्नलिखित व्यक्ति हो सकेंगे।

(१) वे व्यक्ति जो संस्था के कार्यक्षेत्र में रहते हो और मछली पकड़ने या बेचने का धन्धा करता हो।
(२) जिनका आचरण अच्छा हो और जिन्होने इस उपविधियों को समझ लिया हो।
(३) जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो और अनुबंध करने के योग्य हों, परन्तु मृत सदस्यों के अल्प व्यस्क उत्तराधिकारियों के लिए आयु का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।
(४) आरंभ में वे सदस्य होंगे जिन्होने संस्था की रजिस्ट्री के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये हो इसके बाद नये सदस्य समिति की स्वीकृति से भर्ती किये जावेंगे।

किसी सदस्य को सदस्यता का अधिकार तब प्राप्त होंगे जबकि उपविधि ७ के अनुसार यह करार पत्र

लिख दें और उपविधि क्रमांक 14 के अनुसार अंशो को पूरी रकम अथवा पहली किश्त जमा कर दें।

5- सदस्य बनाये जाने के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रत्येक व्यक्ति को ५/- रूपये प्रवेश शुल्क जमा करना होगा यदि प्रार्थना पत्र स्वीकृत न हुआ तो प्रवेश शुल्क वापस कर दी जावेगी। संस्था की रजिस्ट्री के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों को यदि उन्होने रकम पहले न दी हो तो संस्था को रजिस्ट्री होने के बाद जो पहिले व्यापक सम्मेलन की बैठक की जाये उस दिन अथवा उसके पहिले प्रवेश शुल्क जमा कर देना चाहिये।

6- प्रत्येक सदस्य को इस करार पत्र पर हस्ताक्षर करने होगें कि -

(१) यह अपना मछली जो संस्था को दिये जाने योग्य हो संस्था को ही देगा और समिति की लेखी अनुमति बिना अन्य किसी व्यक्ति को नहीं बेचेगा। इसके विरूद्ध आचरण करने पर समिति से किया गया दण्ड जो 100/-रूपये से अधिक नहीं होगा जमा करेगा।

(२) मछली संवधन के सम्बन्ध में जो सूचनायें उसको दी गई हो, उसका पालन करेगा, यदि उसका पालन न करे तो समिति उस पर दण्ड करेगी वह उसे जमा करना होगा। यह दण्ड 50 रू. से अधिक नहीं होगा।

(३) संस्था की उपविधियों का, इन उपविधियों के अंतर्गत व्यापक सम्मेलन द्वारा बनाई हुई उपविधियों का और इन दोनों में जो संशोधन हो उसकी सदस्यता की अवधि में उनका वह पूर्ण पालन करेगा।

७- प्रत्येक सदस्य को रजिस्टर में हस्ताक्षर करने होगे और उसको अपना उत्तराधिकारी (जो यदि संस्था का कोई पदाधिकारी अथवा नौकर हो तो समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी। मनोनीत करने का अधिकार होगा जिसका सदस्य के मरने पर उसकी यदि कोई रकम संस्था में जमा हो तो वह दी जा सके अथवा उसके नाम पर परिवर्तित की जा सकें। उत्तराधिकारी को मनोनीतगी और उसके बाद उसमें परिवर्तित दो साथियों के समक्ष लिखे जायेंगे।

८- सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगी -

(१) मर जाने पर

(२) संस्था के एक भी अंश का स्वामी न रहने पर।

(3) प्रबन्धक के नाम एक मास पहिले त्याग पत्र देने पर और उसकी समिति से स्वीकृत होने पर, परन्तु जिन पर संस्था का ऋण हो अथवा जो किसी ने न चुकाये हुए ऋण का प्रतिभू हो और जिसकी सदस्य हुए कम से कम एक वर्ष न हुआ हो, त्याग पत्र नहीं दे सकेगा।

९- कोई भी सदस्य व्यापक सम्मेलन में उपस्थित सदस्यों के कम से कम २/३ के बहुमत से स्वीकृत किये गये ठहराव द्वारा नीचे लिखे गये ठहराव के द्वारा किसी भी एक कारण से संस्था से निकाला जा सकता है।

(१) यदि वह ऋण समय पर लगातार न चुकाता हो अथवा संस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा न करने की उसकी आदत पड़ गयी हो।

(२) यदि जानबूझकर झूठा बयान देकर संस्था को धोका देता हो।

(३) यदि वह दिवालिया हो गया हो अथवा दिवालिया घोषित किये जाने का प्राथना पत्र प्रस्तुत कर चुका हो या विधान की दृष्टि से अनुबंध करने के योग्य हो गया हो।

(४) यदि वह फौजदारी आरोप में, जिससे नैतिक पतन सिद्ध हुआ हो, दण्डित किया हुआ हो।

(५) यदि वह जानबूझकर कोई ऐसा काम करें, जिससे की समिति की साख को हानि पहुंची हो अथवा पहुंचने की संभावना हो ऐसे सदस्य के निकाले जाने के प्रस्ताव की लिखित सूचना प्रबंधकारिणी समिति उनको 15 दिन पहले देगी।

१०- कोई निकाला हुआ सदस्य फिर सदस्य नहीं हो सकेगा, सिवाय उस स्थिति के जबकि व्यापक सम्मेलन उसे सम्मिलित करने का प्रस्ताव, जिसकी सूचना पहले दी गई हो, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृत न हों।

११. संस्था को ऋण तथा अमानतों आदि के लिए सदस्यों का दायित्व अंशों में दर्शानीय मूल्य के 10 गुणा तक सीमित) होगा।

(१) पिछले सदस्यों का दायित्व, संस्था के उस ऋण तथा अमानतों आदि के भार के लिए जो संस्था उस पर उसके अलग होने के समय हो, उसके अलग होने से दो वर्ष तक रहेगा।

(२) मरे हुए सदस्य की सम्पति उस ऋण तथा अमानत आदि के भार के लिए जो उसके मरने का तारीख को संस्था पर है सदस्य के मरने की तारीख से दो वर्ष तक उत्तरदायी रहेगी।

१२- अंशो की पूंजी 1,00,000/- (एक लाख) रूपये रहेगी जिसमें ५०-५० रूपयों के २००० अंश होंगे इसमें कमी अथवा वृद्धि व्यापक सम्मेलन के ठहराव से तथा सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार साहब की स्वीकृति से की जा सकेगी।

१३. प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक अंश लेना होगा कोई सदस्य उस समय तक वसूल आयी हुई अंशों की रकम १/५ से अधिक मूल्य के ऋण न ले सकेगा। यदि किसी कारण किसी सदस्य के पास इससे अधिक अंश हो जावे तो वह अधिक अंश समिति के नये अंश लेने वालों को बिकवा सकेगी। अंश लेने के प्रार्थना पत्रों का निर्णय प्रबंधकारिणी समिति करेगी। एक अंश प्रमाण पत्र प्रत्येक लिए हुए अंश अथवा अंशों के लिए दिया जावेगा। जिस पर संस्था की मुद्रा लगायी जावेगी और समिति के अध्यक्ष तथा प्रबंधक के हस्ताक्षर होंगे।

१४. अंश की पूरी रकम एक साथ जमा होगी।

१५. कोई सदस्य अंश को कम से कम एक वर्ष रखने के बाद समिति की स्वीकृति से ही हस्तांतरण कर सकता है।

१६. उस सदस्य को जिसका संबंध संस्था के साथ उपविधि 9 की पार्ट कालम नं. 3 अथवा 4 के अनुसार छुट गया हो उसके अंश के उस समय के मूल्य के समान उतनी रकम जो सहकारी संस्था नियमों के अनुसार प्रबंधकारिणी निश्चित करें और उसमें जमा की हुई रकम से अधिक न हो उसके अलग होने के 6 माह के भीतर वापिस कर दी जावेगी। परन्तु किसी वर्ष में इस प्रकार से अंशों की उस रकम के जो गत 31 मार्च को जमा हो १/१० से अधिक रकम वापिस नहीं की जा सकेगी और उसमें से यह रकम जो इस संस्था को सदस्य से लेना हो काट ली जावेगी।

१७. किसी सदस्य के मरने पर समिति उसके अंशों के उस समय के मूल्य के समान उतनी रकम जो सहकारी संस्था नियंमों के अनुसार प्रबंधकारिणी समिति निश्चित करें और जो उसने जमा की हुई रकम से अधिक न हो, में से उस रकम को घटाकर जो उस पर संस्था का बाकी रकम वर्ष एक के भीतर उस व्यक्ति को वापिस देगी जो उपनियम ७ के अनुसार मृत सदस्य ने मनोनीत किया हो और यदि ऐसा कोई मनोनीत किया हुआ व्यक्ति न हो तो वह रकम इन्डोमिनेट बांड लिखाकर ऐसे व्यक्ति को दी जावेगी जो समिति की दृष्टि से मरे हुए सदस्य के उत्तराधिकारी अथवा स्थानापन्न के नाते उस रकम के पाने का अधिकार होगा।

१८ व्यापक सम्मेलन :-

संस्था के कारोबार के संचालन में व्यापक सम्मेलन को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे।

१९. वार्षिक व्यापक सम्मेलन की बैठक प्रति वर्ष की जावेगी। इसके अतिरिक्त जब आवश्यकता हो प्रबंधकारिणी समिति के ठहराव पर अथवा कम से कम १/५ सदस्यों के लिखित प्रार्थना पत्र पर जिसमें सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य बताया गया हो अथवा उस संघ के जिसकी संस्था सदस्य हो, के विधिवत अधिकृत अधिकारी की प्रेरणा पर विशेष व्यापक सम्मेलन हो उसको वे ही अधिकार होंगे जो इन उपविधियों में वार्षिक व्यापक सम्मेलन को प्राप्त है।

२०. व्यापक सम्मेलन की बैठक के लिए गणपूर्ति संस्था उन सदस्यों की संख्या के, जो व्यापक सम्मेलन की सूचना देने की तारीख को हो १/१० अथवा ५० इसमें से जो कम हो, होगी। बैठक के लिए नियत किये हुए समय पर गणपूर्ति न हो अथवा सम्मेलन का काम शुरू होने के पशचात गणपूर्ति न रहे तो यदि वह बैठक सदस्यों के प्रार्थना पत्र पर की गई हो तो निरस्त कर दी जावेगी और अन्य स्थिति में वह दूसरी ऐसी तारीख और समय के लिए स्थगित की जावेगी जो उपस्थित सदस्य नियत करे अथवा जिसकी सूचना पहिले दी जा चुकी हो स्थगित की हुई बैठक में से भी गणपूर्ति आवश्यक होगी।

२१. व्यापक सम्मेलन की कार्यसूची, समय तारीख तथा स्थान की सूचना सदस्यों की १४ दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य का रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या व्यक्तिश: प्रदत्त करके यदि सोसायटी की सदस्य संख्या २५० से कम हों तो, समिति की सदस्य संख्या ५५० से अधिक हो तो डाक प्रमाण से अधीन साधारण डाक से एवं ऐसे मामलों में सूचना सोसायटी के क्षेत्र में प्रसारित स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्र में भी प्रकाशित करायी जावेगी।

२२. वार्षिक व्यापक सम्मेलन में अन्य मामलों के अतिरिक्त जो इन उपविधियों के अनुसार प्रस्तुत हो निम्नलिखित काम होंगे :-

(१) इन उपविधियों के अनुसार प्रबंधकारिणी समिति का चुनाव करना।

(२) वार्षिक पत्रक और उनके संबंधी की वृतान्त पर विचार करना।

(३) लाभ का विवरण स्वीकृत करना परन्तु उपविधि क्रमांक ६८ (४) के अन्तगर्त जो सिफारिश समिति ने की हो उसमें व्यापक सम्मेलन वृद्धि नहीं करेगा।

(४) संस्था के खर्चा का बजट स्वीकृत करना।

(५) यह निश्चित करना कि अमानतें, कितनी, किस अवधि के लिए और किस दर से ली जावे।

(६) मछली पकड़ने के औजार तथा अन्य वस्तुये किराये पर देने के प्रतिबंध निश्चित करना।

(७) सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार आडिटर तथा अन्य सक्षम अधिकारियों के आडिट तथा इन्सपेक्शन नोटों पर समिति ने जो कार्यवाही की उसे देखना और जहां आवश्यकता हो उचित आज्ञायें देना।

(८) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक उपविधियां बनाना।

(९) अन्य प्रश्नों पर जो समिति अथवा सदस्य प्रस्तुत करे विचार करना। व्यापक सम्मेलन में उपस्थित सदस्यों के २/३ बहुमत से कोई सदस्य कार्यपूंजी में न दिया हुआ प्रश्न प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा प्रश्न किसी सदस्य के निकाल दिये जाने अथवा निकाले हुए सदस्य को फिर से सम्मिलित करने अथवा उपविधियों में संशोधन किये जाने के बारे में नहीं होगा।

२३. समिति का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में संस्था का अन्य सदस्य जिसका उपस्थित सदस्य निर्वाचन करें, व्यापक सम्मेलन का अध्यक्ष होगा।

२४. व्यापक सम्मेलन में प्रत्येक उपस्थित सदस्य को उसके संस्था में कितने भी अंश क्यों न हो केवल एक मत देने का अधिकार होगा। परन्तु वह सदस्य जिसकी ओर अंशों की मांग की रकम बाकी हो मत देने का अधिकार नहीं होगा।

उन मामलों के अतिरिक्त जिन निर्णय के लिए सहकारी संस्था विधान उसके अन्तर्गत नियम या उप-नियमों में विशेष बहुमत रखा गया है, अन्य मामलों का निर्णय साधारण बहुमत से होगा। दोनो पक्षों के समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष को अपना एक और निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

२५. प्रबंधकारिणी समिति

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल निर्वाचन कमेटी की प्रथम बैठक की तारीख से तीन वर्ष का होगा। समिति का कोई भी सदस्य २ से अधिक कार्यकाल या ७ वर्ष की लगातार कार्य अवधि के लिए इनमें से जो भी कम हो विनिर्दिष्ट पद धारण नहीं करेगा। प्रबंधकारिणी समिति के नौ (९) निर्वाचित सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगा। संस्था का प्रबंध करने के लिए प्रबंधकारिणी समिति 3 वर्ष के लिए निर्वाचित की जाएगी। जिसमें अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सहित (11) सदस्य होंगे इसमें दो पद महिला हेतु तथा एक-एक पद अनु.ज.जा./अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित होगा। संस्था के प्रबंधकारिणी समिति में शासन के तरफ से दो प्रतिनिधि नामांकित किये जायेंगे। जिसमें सहकारिता विभाग के एक प्रतिनिधि एवं सहायक संचालन मत्स्योद्योग का एक प्रतिनिधि नामांकित रहेगा। प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन संस्था के निर्वाचन हेतु नियुक्त किये गये निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियमानुसार करवाया जायेगा। परन्तु यह और भीअपेक्षित संस्था में ऐसे सदस्यों को निर्वाचित करने में सोसायटी के असफल रहने या ऐसी संस्था में कम संख्या में सदस्यों को निर्वाचित करने की दशा में समिति के शेष सदस्य ऐसी सोसायटी के उन सदस्यों में से जो ऐसे प्रतिनिधित्व के हकदार हैं, अपेक्षित संस्था से सदस्यों को निर्वाचन अधिकारी के समक्ष सहयोजित करेंगे। समिति सदस्यों की आयु १८ वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इन उपविधियों में तथा संस्था व्यापक सम्मेलन में स्वीकृत किए हुए ठहरावों में दी गई आज्ञाओं के अनुसार यह समिति संस्था में संचालन के संबंध में सब अधिकार काम लावेगी। संस्था का कारोबार करने के लिए हर महीने समिति की कम से कम एक बैठक आवश्यक होगी। पात्र सदस्यों की अथवा सदस्यों की संख्या के १/२ इनमें से जो भी अधिक हो गणपूर्ति होगी। समिति का कोई सदस्य लोकसभा या विधानसभा का सदस्य चुने जाने पर समिति का सदस्य नहीं रह सकता।

कमेटी में किसी भी कारण से हुई आकस्मिक रिक्तिता की पूर्ति कमेटी के शेष बचे सदस्यों द्वारा समिति के उसी वर्ग के अन्य सदस्यों में से सहयोजन द्वारा की जावेगी जो सहायक पंजीयक सहकारी समितियां के द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी के उपस्थिति में होगी। इस प्रकार सहयोजित सदस्य का कार्यकाल निर्वाचित कमेटी के कार्यकाल का शेष अवधि के लिए होगा।

२६. व्यापक सम्मेलन द्वारा निर्वाचित समिति दूसरी समिति के निर्वाचन तक काम करेगी। बीच में यदि कोई स्थान समिति में रिक्त हो तो शेष अवधि के लिये समिति उसकी पूर्ति सहायक पंजीयक द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी के अध्यक्षता में की जावेगी।

२७. समिति का जो सदस्य समिति के ३ या इससे अधिक बैठकों में बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहेगा तो उसे समिति की सदस्यता से पृथक किया जा सकेगा और वह एक वर्ष समिति का सदस्य नहीं हो सकेगा।

२८. संस्था किसी सदस्य की ओर बिना अवधि दिया हुआ ऋण शेष रहेगा तो समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकेगा और न उसका सदस्य रह सकेगा। संस्था का कोई सदस्य जो संस्था से वेतन पाता हो समिति का सदस्य नहीं हो सकेगा।

२९- समिति का कोई सदस्य व्यापक सम्मेलन के २/३ मतों के अपरने काम करने के समय हटाया जा सकता है।

३०- समिति अपने में से किसी को अध्यक्ष निर्वाचित करेगी और जब वह उपस्थित हो तो समिति की सब बैठकों में सभापति रहेगा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनो की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को सभापति चुन लेंगे। सब मामलों का निर्णय बहुमत से होगा। दोनो पक्षों में समान मत होने की स्थिति में सभापति को एक और निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

३१- समिति का कोई सदस्य किसी ऐसे मामले पर विचार किये जाने के समय जिससे उसका निजी सम्बन्ध हो समिति की बैठक में सम्मिलित नही रह सकेगा।

३२- सब काम जो समिति ने अथवा किसी ने समिति सदस्य होने के नाते से किये होंगे, यद्यपि बाद में यह मालूम हो कि समिति या उसके किसी सदस्य का निर्वाचन सहकारी संस्था विधान उसके अन्तर्गत नियम व उपनियमों के विरूद्ध था वे उसी प्रकार उचित समझे जावेंगे जिस प्रकार उपविधियों के अनुसार होने पर उचित होगा।

३३- प्रबंधकारिणी समिति के कर्तव्य तथा अधिकार नीचे दिये अनुसार होंगे।

(१) सदस्य बनाना उनके त्याग पत्र स्वीकार करना और उनको निकाले जाने का प्रश्न व्यापक सम्मेलन में प्रस्तुत करना।

(२) अंशो के लेने, बेचने, बदलने तथा वापसी करने के प्रार्थना पत्रों का निर्णय करना और अंशों का राशि वसूल करना।

(३) ऋण तथा अमानतें लेना और समय पर उनको वापसी का प्रबंध करना। यह तय करना कि संस्था की ओर से ऋण की लिखतम पर कौन हस्ताक्षर करेंगे।

(४) ऋण अथवा साख के प्रार्थना पत्रों पर विचार करना और निश्चय करना कि उनको मंजूरी दी जावे अथवा नहीं यदि मंजूरी दी जावे तो कितने समय के लिए और किस अमानत पर और यह भी देखना कि दिये हुए ऋण का उपयोग ठीक होता है या नहीं।

(५) ऋण के रजिस्टर की जांच करना और चुकती हुई किश्तों की वसूली की कार्यवाही करना।

(६) कार्य चलाने के लिए खर्च की मंजूरी देना, जिसको देखना और ऋण की किश्त की अवधि बढ़ाने के प्रार्थना पत्रों पर विचार करना।

(७) मछली पकड़ने का ठेका देना, मछली पकड़वाने की व्यवस्था करना और सदस्यों के उचित प्रतिबन्धों के साथ ठेके क्षेत्र में मछली पकड़ने के अधिकार देना, मछली पकड़ने के औजार, बेचने तथा किराये पर देने की व्यवस्था करना, मछलियों के क्रय विक्रय के प्रतिबन्ध निश्चित करना और उनको सुरक्षित रखने का प्रबन्ध करना।

(८) मछलियों की नर्सरी स्थापित करना और उनके नस्ल की सुधार की व्यवस्था करना।

(९) प्रबंधक के हिसाब की जांच करना।

(१०) आडिट रिर्पोट पर गौर करना और उसकी शिकायतों पर जरूरी कार्यवाही करना, आडिट नोटों के मिलने की तारीख से दो माह के अन्दर आडिटर के पास आरोपों के अनुसार दुरूस्ती करके एक रिर्पोट भेजना।

(११) आडिट रिर्पोट एवं आडिट आरोपों के अनुसार दुरूस्ती की रिर्पोट व्यापक सम्मेलन में रखना।

(१२) उपविधि ३४ एवं ३५ का पालन करते हुए सब वेतन भोगी नौकरों की नियुक्ति करना, मोअत्तिल करना, सजा देना बर्खास्त करना।

(१३) प्रबन्धक अथवा सहायक प्रबन्धक (यदि ग्रुप प्रबन्धक) न हो और दूसरी ऐसे नौकरों से जो अमानत लेना हो रजिस्ट्रार साहब को आपरेटिव्ह सोसाइटीज की बताई हुई स्केल से कम न होगा।

(१४) वार्षिक रिपोर्ट एवं पत्रक तैयार करना।

(१५) नालिस दायर करना और जवाबदेही करना और सहकारी बैंक की अनुमति से ऐसे मुकदमें में समझौता करना, नालिस दायर करने तथा मामले की पैरवी करने के लिए किसी एक अथवा अधिक व्यक्ति की नियुक्ति करना।

(१६) आमतौर पर संस्था का कारोबार चलाने की आवश्यक काम करना। प्रबंधकारिणी समिति को अधिकार होगा कि वह अपने कर्तव्य तथा अधिकारों में से कुछ अधिकार तथा कर्तव्य पूर्णतया अथवा अंश तथा किसी उप समिति अध्यक्ष प्रबन्धक को दें।

३४- समिति के सदस्य संस्था का सब कारोबार एक व्यवहार कुशल व्यक्ति के नाते चिन्ता से करेंगे और उस हानि के उत्तरदायी होंगे जो कि छत्तीसगढ़ सहकारी संस्था विधान, उसके अंतर्गत नियम और इन उपविधियों के विरूद्ध कार्य करने की स्थिति में संस्था का हुआ हो।

३५- प्रबन्धक अथवा सहायक प्रबन्धक की नियुक्ति संबंधित मछली विक्रय संघ की स्वीकृति से होगी और यदि ऐसा संघ न हो तो ऋणदाता सहकारी बैंक की स्वीकृति से होगी। यदि उक्त संघ तथा बैंक के विचार में प्रबन्धक काम ठीक न करता हो तो उसे अलग करने की आज्ञा दे सकती है।

३६- यह संस्था अपनी नीजि की इच्छा के अनुसार प्रबन्धक नियुक्ति न कर सकें तो संबंधित विक्रय संघ अथवा पंजीयक उस संस्था का काम अपने किसी ग्रुप प्रबन्धक को सौंप सकती है। सहायक प्रबंधक नियुक्त किये जाने की स्थिति में कौन-कौन से काम सहायक प्रबंधक को सौंपना और कौन से काम ग्रुप प्रबंधक के पास रखना इसका निर्णय संबंधित सहकारी मछली विक्रय संघ अथवा पंजीयक करेगा।

३७- ***अध्यक्ष***

व्यापक सम्मेलन तथा प्रबंधकारिणी समिति के ठहरावों को ठीक प्रकार से कार्यान्वित करने का काम अध्यक्ष तथा प्रबंधक का होगा। अध्यक्ष, प्रबंधक तथा अन्य कर्मचारियों के काम पर देखभाल करना और वे अधिकार काम में लावेंगे जो समिति उनको दिए हों।

३८- ***अपीलें :-***

प्रबंधकारिणी समिति के ठहरावों के विरूद्ध अपील व्यापक सम्मेलन में हो सकेगी। व्यापक सम्मेलन को अधिकार होगा कि वह उस अपील को लेने से इंकार कर दे यदि वह समिति के ठहराव पाने की तारीख से दो महीने के भीतर प्रस्तुत न की गई हो।

३९- ***प्रबंधक***

प्रबंधक के कर्तव्य नीचे लिखे अनुसार है -

(१) व्यापक सम्मेलन तथा प्रबंधकारिणी समिति की बैठक बुलाना, उनमें उपस्थित रहना और उनकी कार्यवाही पुस्तक में लिखना और उन पर अपने तथा सभापति के हस्ताक्षर करना, समिति की कार्यवाही पर समिति की बैठक में उपस्थित समिति के समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे।

(२) प्रबंधकारिणी समिति के ठहराव के अनुसार वसूली और वितरण की व्यवस्था करना और सब हिसाब तथा रजिस्टर जो उपविधियों के अनुसार आवश्यक हो रखना।

(३) वसूल आई हुई रकमों की रसीदें देना और प्रार्थना पत्र लिखतम जो संस्था के कारोबार के संबंध में जरूरी हो तैयार करना।

(४) सदस्यों की अधिकतम ऋण सीमा तथा मत्स्योद्योग के लिए अल्पाविधि की सीमा के पत्रक बनाकर समय पर प्रबंधकारिणी समिति में प्रस्तुत करना।

(५) ऋण जिन कार्यों के लिए दिया गया हो वह उन्ही कार्यों में खर्चा हुआ अथवा नहीं इसका वृतान्त देने के एक मास के भीतर समिति में प्रस्तुत करना।

(६) सदस्यों से मछलियां लेना और उनकी सम्बन्धित मछली विक्रय संघ की ओर भेजने की व्यवस्था करना।

(७) जिन सदस्यो से ऋण अथवा अन्य लेना समय पर जमा न हो उनके प्रकरण वसूली की योग्य कार्यवाही करने हेतु समिति में प्रस्तुत करना।

(८) आडिट तथा निरीक्षण वृतान्त समिति के विचार के लिए रखना, समिति के ठहरावों के अनुसार आक्षेपों का निराकरण करना और तामील की सूचना आडिट तथा निरीक्षक से दो माह के भीतर संबंधित अधिकारी के पास भेजना।

(९) संस्था की ओर से सब लिखा पढ़ी करना, सदस्यों को सब आवश्यक जानकारी देना और रजिस्टर तथा अन्य कागजों की प्रतिलिपि प्रमाणित करना।

(१०) प्रतिवर्ष ३० अप्रेल से पहिले गत वर्ष के आय-व्यय, हानि-लाभ, लेन-देन के पत्रक तथा समिति और रजिस्ट्रार साहब द्वारा निश्चित किए अन्य पत्रक तैयार करना और उनकी प्रतिलिपि 5 वर्ष तक नियमों में निर्धारित अधिकारी के पास भेजना।

(११) संस्था से संबंधित वे अन्य काम करना जो समिति उसकों सौंपे।

४०- **ऋण**

ऋण केवल संस्था के सदस्यों को ही दिया जावेगा। ऋण दो सदस्यों की प्रतिभूति पर दिया जावेगा यदि उचित प्रबंध हो तो सदस्यों की प्रतिभूति पर दिया जावेगा।

४१- ऋण मछली पकड़ने के औजार, डोंगा इत्यादि मोल लेने लायसेंस शुल्क देने कुनवे का निर्वाह करने तथा मत्स्योद्योग संबंधी आवश्यक कामों के लिए दिया जावेगा। पुराना ऋण चुकाने तथा विवाह इत्यादि बड़े कामों के लिए भी ऋण दिया जा सकेगा। परन्तु ऐसे प्रकरण की ऋण सीमा सदस्यों द्वारा दिये जाने वाले समस्त ऋण के ५० प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और उसके लिए अचल सम्पत्ति तारण में रखने के लिए संस्था कह सकेगी। किसी सदस्य की ओर १,०००/- रूपये से अधिक ऋण नहीं रहेगा।

४२. ऋण उस सीमा के भीतर दिया जावेगा जो कि व्यापक सम्मेलन के द्वारा निश्चित की गई हो।

४३. ऋण जिस काम के लिए दिया हो उसी में लगाना आवश्यक होगा यदि वह उसमें नहीं लगाया गया तो ऋण की रकम ब्याज सहित तुरंत वापिस करनी होगी।

४४. जाल, औजार तथा कुनबे के निर्वाह के लिए दिया हुआ ऋण एक वर्ष में और डोंगा लेने भवन, बनाने, विवाह पुराने ऋण चुकाने के लिए दिए हुए ऋण दो अथवा तीन वर्षों में वसूल होंगे मछली बिक्री आय का उतना भाग जो समिति योग्य समझे ऋण को किस्त में लिया जा सकेगा।

४५. ऋण में ब्याज की दर ९ प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी। ब्याज देने की तारीख से ऋण वसूल होने की तारीख तक का लगाया जावेगा। जो रकम वसूल होगी वह पहले मुद्दत में ऋण जमा होगी। ३१ मार्च की ब्याज का हिसाब करके ब्याज की रकम वसूल आई हुई राशि में से ब्याज के खाते में परिवर्तित की जावेगी।

४६- अल्पाविधि के ऋण के ऋण की आवश्यकता के पत्रक निश्चित समय के पहले समिति तैयार करेगी और ऋण दाता सहकारी बैंक की स्वीकृति लेकर रहेगी इस पत्र में स्वीकृत रकम की सदस्य के द्वारा मांग होने पर उक्त रकम उस विवरण के अनुसार जो उक्त पत्रक में अंकित हो बिना किसी जांच के देने का अधिकार अध्यक्ष को अथवा समिति के किन्ही दो सदस्यों को होगा परन्तु वे किसी भी स्थिति में उस रकम से अधिक ऋण न दे सकेंगे जो कि समिति ने सदस्य के लिए स्वीकृत हो।

४७- इससे अधिक रकम की आवश्यकता हो तो उसके लिए मध्यम आय अवधि के ऋणों के लिए निर्धारित फार्म पर पृथक प्रार्थना पत्र देना होगा जिसको स्वीकार करने का अथवा पूर्ण तथा अंशतया अस्वीकार करने का समिति को अधिकार होगा। मध्यम अवधि का ऋण उसकी आवश्यकता को पूरी जांच करके दिया जावेगा।

४८- अल्प अवधि के ऋणों के लिए सदस्यों से उन फार्म पर जो सहकारी संस्था के रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित किए हैं, उस पूर्ण रकम को लिखित में और पूर्ण रकम के प्रतिभूति पत्र पर लिखाये जायेंगे जो सदस्य के लिए स्वीकार हुई हो। इस स्थिति में जब तक ऋण की रकम दी जावे निर्धारित फार्म पर उस रकम को केवल पावती लेना पर्याप्त होगा। मध्यम अवधि के ऋणों के लिए पृथक लिखितम तथा प्रतिभूति का होना आवश्यक होगा।

४९- ऋण चेक न देते हुए रोकड़ के रूप में दी जावे तो वह समिति के एक सदस्य के सामने दिया जाना चाहिए।

५०- ऋण लेने के एक माह के भीतर सदस्य को प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि जिस काम के लिए उसने ऋण लिया था वह उसी काम में लगाया गया है। यदि समिति को यह मालूम हो कि किसी सदस्य ने ऋण की रकम अन्य काम में लाया है तो उसे अधिकार होगा कि ब्याज तथा दण्ड ब्याज सहित ऋण की कुल रकम तुरंत वसूल कर लें ऋण का अन्य काम में उपयोग किये जाने के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा।

५१- ऋण की अंशिकाये सदस्य को निश्चित तारीख तक जमा करनी होगी यदि किसी विशेष कारण से वह समय पर कोई अंशिका नहीं दे सकता है तो अवधि देने समिति के पास प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जबकि समिति को यह विश्वास हो जाये कि ऋणी सदस्य किसी योग्य कारण से जिसमें उसका कोई दोष नहीं है अपनी अंशिका नहीं दे सकता है तो वह अधिक से अधिक एक वर्ष तक की अवधि बढा सकती है। परंतु ऐसी अवधि देने से ऋणदाता सहकारी बैंक का ऋण समय पर न दिया जा सकता हो तो अवधि तक से स्वीकृति प्राप्त होने पर दी जावेगी। एक वर्ष से अधिक अवधि व्यापक सम्मेलन की तथा ऋण दाता सहकारी बैंक के स्वीकृति से दी जा सकेगी। एक वर्ष से अधिक की प्रतिभूति को लेखा अनुमति के बिना अवधि नही बढ़ाई जावेगी।

५२- यदि अवधि देना स्वीकार न हो तो सदस्य तथा उसके प्रतिभूति जो रकम तुरंत जमा करने की सूचना दी जावेगी और उस पर भी रकम जमा न हो तो वैधानिक रीति से वसूली की कार्यवाही ऋण अनाधिकृत बाकी रहने की तारीख से अधिक से अधिक दो महीने के भीतर न की जाये तो ऐसे ऋण में से बाद में कोई रकम डूबन्त हुई तो उसके लिए समिति के सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

५३- अनाधिकृत बाकी पर अंशिका भरने की जो तारीख निश्चित हो उस तारीख से और जो ऋण जिस काम के लिए दिया गया था उस काम में न लगाया गया हो तो उस पर ऋण दिये जाने की तारीख से चालू ब्याज के अतिरिक्त दण्ड ब्याज लिया जावेगा। जो बाकी प्रति रूपया प्रतिमास से अधिक नहीं होगा।

५४- यदि किसी ऋणी सदस्य का प्रतिभू भर जायें तो अथवा समिति का यह मत हो कि प्रतिभूति रहने के अयोग्य हो गया हो तो वह उक्त सदस्य को दूसरा प्रतिभू देने के लिए सूचना देंगी। यदि इस प्रकार सूचना मिलनें पर वह दूसरा प्रतिभूति न दे तो उस प्रतिभूति पर दिया हुआ सब ऋण ब्याज इत्यादि सहित तुरंत वापिस करना होगा।

५५. ***अमानतें***

प्रत्येक सदस्य को आवश्यक होगा कि कितने मूल्य का माल वह इस संस्था के द्वारा बेचे उसका कम से कम एक प्रतिशत भाग अनिवार्य अमानत के रूप में संस्था में जमा करे सदस्य वह जब चाहे उसे संस्था के अंश मोल में लेने में लगा सकता है। इस अमानत के ब्याज की दर व्यापक सम्मेलन में निश्चित करेगी। जो ५/- रूपये से अधिक नहीं होगी।

५६- संस्था मुद्दती अमानतें जो कि ६ माह से कम की न हो ले सकती है। अमानतों पर ब्याज की दर समिति उस ऋण दाता सहकारी बैंक की अनुमति से जिसके कार्यक्षेत्र में यह संस्था हो, निश्चित करेगी अथवा उसमें घटबढ़ करेगी।

५७ ***कुटुम्ब सहायक निधि :-***

सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार साहब की पूर्व अनुमति लेकर वह संस्था आगे दी गई उपविधि के अनुसार कुटुम्ब सहायक निधि का कार्य चालू कर सकेगी।

५८- संस्था के प्रत्येक सदस्य को जिसकी आयु ३० वर्ष से अधिक न हो और जिसका स्वास्थय अच्छा हो, इस निधि के कार्य में सम्मिलित होना आवश्यक होगा।

५९- आयु तथा स्वास्थय के संबंध में आवश्यक जांच के उपरांत संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति की जो निर्णय देगी वह अंतिम होगा। प्रबंधकारिणी समिति यदि आवश्यक समझे तो स्वास्थय के संबंध में डाक्टर का प्रमाण-पत्र मांग सकेगी।

६०- इस निधि में प्रत्येक सदस्य को आरंभ में दो रूपये अमानत के रूप में जमा करने होंगे।

६१- किसी सदस्य की मृत्यु की सूचना मिलने पर उसकी सदस्यता की जांच करके उसके उत्तराधिकारी को उक्त तिथि की सिलक में से उस समय संस्था में जितने सदस्य हैं उतने रूपये यथा संभव शीघ्र दिये जावेंगे। साथ ही इस निधि में उपक्रमांक ५८ के अनुसार मृत सदस्य की ओर से जमानत की रकम शेष हो वह भी कर दी जावेगी। परन्तु मृत सदस्य की ओर संस्था का कुल लेना हो जब तक उनका निर्णय नहीं होता यह रकम मृत सदस्य के उत्तराधिकारी को वहीं दी जावेगी।

६२- इसके पश्चात इस निधि की रकम पूरी करने के लिए प्रत्येक विद्यमान सदस्य से एक रूपये की मांग की जावेगी मांग की रकम दो माह के भीतर जमा होना चाहिए यदि वह राशि इस अवधि में जमा न हुई तो ऐसे सदस्य की अनिवार्य अमानत अथवा अन्य अमानत की रकम में से यह रकम उक्त निधि में जमा की जावेगी।

६३- यदि कोई सदस्य संस्था की सदस्यता से अलग हो जाये तो उसकी अमानत की जितनी रकम इस निधि में शेष है वह उसे लौटा दी जावेगी और उसका नाम इस निधि में सम्मिलित सदस्यों की सूंची में से कम कर दिया जावेगा।

६४- इस निधि की इस रकम को संस्था के कारोबार में नहीं लगायी जावेगी किन्तु संबंधित सहकारी बैंक में अमानत जमा रखी जावेगी।

६५. अन्य सहकारी संस्थाओं की सदस्यता -

(१) यह संस्था जिला सहकारी बैंक में संबंधित रहेगी जो उसको आर्थिक सहायता देने वाली संस्था होगी संस्था को उससे अंश लेना होगे जितने की बैंक की उपविधियों में लेना आवश्यक रखा गया हो।

(२) इस संस्था को मछली विक्रय संघ का यदि कोई हो, सदस्य होना होगा जिससे कि कार्यक्षेत्र में इस संस्था का कार्यक्षेत्र शामिल हो।

(३) यह संस्था छत्तीसगढ़ केन्द्रीय सहकारी संस्था की सदस्य होगी।

६६.- हिसाब के अन्य रजिस्टर :-

हिसाब की पुस्तक और सब रिकार्ड छ.ग. शासन सहकारी नियमों के तथा सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार साहब की आज्ञानुसार रखा जावेगा।

६७- समिति का कोई भी सदस्य कार्यालय के समय में किसी भी रजिस्टर अथवा हिसाब की जिसका संबंध उसके लेन-देन से हो देख सकता है।

६८- संस्था की मुद्रा :-

संस्था की एक संयुक्त मुद्रा होगी जो अध्यक्ष/प्रबंधक के पास रहेगी। इस लिखतम पर मुद्रा लगायी जावेगी। समिति के अध्यक्ष तथा प्रबंधक अथवा ऐसे पदाधिकारियों के हस्ताक्षर होंगे जिन्हें समिति इस संबंध में अधिकार दिया हो।

६९- *शुद्ध लाभ का विवरण :-*

वार्षिक व्यापक सम्मलेन को स्वीकृत से शुद्ध लाभ का वितरण नीचे लिखे अनुसार किया जावेगा।

(१) कम से कम २५ प्रतिशत रक्षित (निधि) में जमा किया जावेगा।

(२) सदस्यों को उनके अंशो की वसूली आई हुई रकम पर डिविडेंड दिया जावेगा जिसकी दर १०% से अधिक नहीं होगी।

(३) शेष में से ५० प्रतिशत उन सदस्यों को जिन्होने संस्था को अथवा संस्था के द्वारा माल लेना हो उस कारोबार के परिणाम में जो उन्होंनें संस्था के साथ किया हो, बोनस देने खर्च किया जावेगा।

(४) शेष में सहकारी संस्था विधान की धारा ५१ के अनुसार लाभ को अधिक से अधिक २० प्रतिशत रकम परोपकारी संबंधी कामों में खर्च की जा सकेगी।

(५) शेष रकम में से भवन निर्माण आदि निधियां बनायी जा सकेगी।

टिप्पणी :-

यदि संस्था असीमित दायित्व की हो तो पहले 10 वर्ष का शुद्ध लाभ की ५० प्रतिशत रकम रक्षित निधि में जमा की जावेगी और शेष रकम लाभ खाते में जमा होती रहेगी। दस वर्ष पूरे होने पर लाभांश दिया जा सकेगा। जो वसूल आई हुई रकम पर १० प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं होगा। इसके बाद जो रकम शेष होगा वह राशि निधि में जमा की जावेगी। ग्यारह वर्ष में से इस उपविधि में लिखे अनुसार लाभ का वितरण किया जावेगा।

७०- रक्षित निधि -

उन कारणों के अतिरिक्त जो इन उपविधियों में बनाई गई है। प्रवेश, शुल्क, दण्ड, ब्याज तथा जप्त किए हुए अंशों की रकम रक्षित निधि में जमा की जावेगी।

७१. रक्षित निधि संस्था की सम्पत्ति होगी इस निधि का उपयोग संस्था को हानि होने पर इसके पूर्ति के लिए किया जावेगा। परन्तु इसकी मंजूरी उस क्षे. की जिला सहकारी बैंक तथा सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार साहब से प्राप्त करना आवश्यक होगा। कोई सदस्य इस निधि में से कोई भी भाग का अधिकारी नहीं होगा। इस निधि की रकम छत्तीसगढ़ सहकारी संस्था संविधान १९६० तथा उसके अन्तर्गत बने हुए नियमों में दिए हुए आदेशों के अनुसार लगाई जावेगी।

७२- संस्था टूटने पर संस्था का सब देना चुकाने के बाद जो रकम शेष रहेगी उसका विनियोग छत्तीसगढ़ सहकारी संस्था विधान तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार किया जावेगा।

७३- ***विवाद :-*** विवाद जो इन उपविधियों अथवा संस्था के कारोबार के संबंध में छत्तीसगढ़ सहकारी संस्था विधान की धारा ६४ के अन्तर्गत निर्णय के लिए सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार साहब को प्रस्तुत करनें होगे जो उक्त विधान तथा उसके अन्तर्गत नियमों के अनुसार निर्णय करेंगे।

७४- ***संशोधन :-*** सिवाय व्यापक सम्मेलन में उपस्थित सदस्यों के २/१ बहुमत के इस उपविधियों में से किसी भी उपविधि का संशोधन नही हो सकेगा। सम्मेलन बुलाने के सूचना पत्र में योजित संशोधन लिखा जावेगा और सूचना पत्र कम से कम 14 दिन पूर्व दिया जावेगा। ऐसा संशोधन उस समय तक व्यवहार में न आ सकेगा जब तक कि सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार साहब उसकी स्वीकृति करके रजिस्ट्री न कर दें।

७५- ***सूचना पत्र की तामील :-*** इन उपविधियों में जहां बताया गया है कि किसी भी सदस्य को लिखी सूचना पत्र का ऐसे सदस्य को स्वयं दिया जाना अथवा डाक से डालने का प्रमाण-पत्र लेकर उसके पते पर जो संस्था के सदस्यों के रजिस्टर में नोट किया हुआ डाक से भेज देना पर्याप्त तामील होना समझा जावेगा।

७६- ***विविध :-*** अन्य खाते, जिनका प्रथम उल्लेख इन उपविधियों में न किया गया हो, छत्तीसगढ़, सहकारी संस्था विधान सन १९६० तथा उसके अंतर्गत नियमानुसार की जावेगी।